प्रेषक,

महानिरीक्षिक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

सेवा में,

समस्त महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश।
समस्त उपनिबन्धक,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-3288/शि0का0लख0/2001 दिनांक 23 जून, 2001

विषय- निबन्धन नियमावली एवं फोटो स्टेट प्रणाली नियमावली के अनुरूप कार्य न होने के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से यह बात संज्ञान में आयी है कि प्रलेखों के सम्बन्धित बहियों में निबन्धित करने की निबन्धरन नियमावली तथा उत्तर प्रदेश (फोटो स्टेट प्रतियां के साथ दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण) नियमावली 1989 में विद्यमान व्यवस्था के अनुकूल कार्य नही हो रहा है। उपनिबन्धक कार्यालय धामपुर जनपद बिजनौर के द्वारा यह प्रक्रिया अपनाये जाने की बात संज्ञान में आयी है उनके द्वारा निबन्धन हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों की दो-दो अतिरिक्त प्रतियों ली जा रही है जो कि निबन्धन नियमावली के नियम 235 के विरूद्ध है। उत्तर प्रदेश (फोटो स्टेट प्रतियां के साथ दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण) नियमावली 1989 के प्रचलन में आने के उपरान्त मुद्रित अथवा अवमुद्रित प्रलेखों से भिन्न प्रलेखों में ही मूल के साथ फोटो कापी लाने की व्यवस्था है। इसका अभिप्राय यह भी है कि यदि दस्तावेज मुद्रित है अथवा अवमुद्रित है तो उस दशा में फोटो कापी या टाइप प्रति को अतिरिक्त रूप से लिया जाना नियमानुकल नहीं होगा किन्तु इस स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद उपनिबन्धक धामपुर द्वारा मुद्रित दसतावेजों के साथ उसकी अतिरिक्त् दो-दो फोटो प्रतियां मांगी जा रही है जो विधि अनुकूल नहीं है, इसी प्रकार उपनिबन्धक धामपुर कोरे कागज पर स्टाम्प वेनडर का मुहर लगवा रहे हैं जबकि स्टाम्प वेन्डर के पृष्ठांकन को हाथ से लिखा जाना चाहिए था। यह भी ऐ शार्टकट एवं नियम विरूद्ध प्रक्रिया उप निबन्धक ने अपने स्तर से चला रखी है।

2- जनपद मुदादाबाद स्थित सदर कार्यालयों में भी यह पाया गया है कि मूल दस्तावेजों के अनुसार कार्यालय में उपस्थित लिपिकों से इनकों टंकित कराया जाता है और मूल दस्तावेज के साथ-साथ दो प्रतियां फोटो स्टेट की भी प्रस्तुत करवायी जा रही है। इस प्रकार एक प्रति टाइपशुदा एवं दो प्रति फोटो स्टेट की ली जा रही है और इसे ही अतिरिक्त बही में पेस्ट किया जा रहा है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश फोटो स्टेट प्रतियों साथ दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1989 एंव निबन्धन

नियमावली के अनुरूप् नहीं है। प्रलेखों की मूल प्रति के साथ फोटो स्टेट प्रति लेने तथा इसे ही खण्डों में चस्पा किये जाने का प्राविधान है नकि अतिरिक्त् टाइप कापी भी लेने का प्रलेखों की टंकित प्रति को अतिरिक्त बही में चस्पा करना भी निबन्धन नियमावली के नियम 235 का उल्लंघन है। उक्त नियम के अनुसार अतिरिक्त बही में मात्र प्रिन्टेड व लियोग्राफ प्रलेख ही चस्पा किये जा सके हैं, टंकित प्रलेख नहींा

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपनिबन्धक कार्यालयों में टाइप मशानें उपलब्ध नहीं करायी गयी है और नहीं निबन्धन लिपिक टाइप करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और न ही उनसे टाईपिंग की अपेक्षा की जाती है। निबन्धन लिपिकों द्वारा हाथ से ही प्रलेखों के प्रतिलिपिकरण कराने व अन्य कार्य लिये जाने के निर्देश हैं। ऐसी दशा में उपनिबन्धक कार्यालयों टाइप कापी लिपिकों से टाइप करवाने की बात न केवल इस बात की आशंका को पैछा करती है कि पक्षकारों पर अनाववश्यक बोझ डाला जा रहा बल्कि इससे इस बात को भी बल मिलता है कि टाइप का कार्य कदाचित बाहरी व्यक्तिओं द्वारा कराया जा रहा है।

इससे स्पष्ट है कि जनपदों में नियम के अनुरूप इस प्रक्रिया में एकरूपता नहीं वरन उपनिबन्धकगण अपनी सुविधानुसार ऐसी व्यवस्था/ कार्यप्रणाली विकसित किये हुए है जो जनता के लिए उत्पीड़क होने के साथ-साथ नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में भी हा निबन्धन की प्रक्रिया में इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर छेड़-छाड़ करने का विभाग के कार्यकलाप पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

उक्त कार्यालयों में प्रचलित इन व्यवस्थाओं से आपको अवगत कराने का उद्देश्य यही है कि आप अपने-अपने क्षेत्र व कार्यालय में निरीक्षण कर यह देख लेवें कि इस प्रकार की अनियमित प्रथा आपके यहां भी तो नहीं चल रही है और यदि चल रही है तो इसे तत्काल समाप्त करते हुए नियमित व्यवस्था लागू कराये तथा कृत कार्यवाही से मुझे अवगत करायें। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कार्य प्रणाली सिर्फ धामपुर एवं मुरादाबाद में ही नहीं वरन अनके अन्य जनपदों/ कार्यालयों में भी प्रचलित हैं।

(पी0के0झा)
महानिरीक्षक निबन्धन
उ0प्र0 शिविर- लखनऊ।